

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 15 दिसम्बर, 2010

संख्या वैब 8 /ह0अ0 6/2003/धा0 59/2010. – संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से सलंगन अनुसूची ख में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,

अनुसूची ख में खाना 1 तथा 2 के नीचे,

(क) क्रम संख्या 21 तथा उसके सामने के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी,

अर्थात् :-

“21	जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला, बाइओमास रोलज तथा स्थानीय निकायों से प्राप्त ठोस कूड़े-करकट से निर्मित सूखा नगरपालिका ठोस कूड़ा-करकट का ईंधन”;
-----	---

(ख) क्रम संख्या 29 क तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“29ख	पंजाब खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 (1956 का 40) के अधीन गठित खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग अथवा बोर्ड द्वारा प्रमाणित खादी संस्थाओ द्वारा निर्मित तथा बेचे गये हाथ से बुने हुये, हाथ से बने खादी कम्बल तथा खेस, पोली खादी फैब्रिक, खादी वस्त्र तथा सूती दरियां”
------	---

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।